[Secretary]

March, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.'

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न दो विषयों के बीच में उठाया जा सकता है। आप हमारी तरफ देखेंगे या नहीं। यह नियम लिखा हुआ है . .

Mr. Speaker: Order, order. He can come and convince me. After I have disallowed something in the chamber, I cannot allow it to be raised here.

श्री मधु लिमये : आप 376 देख लीजिये।

Mr. Speaker: I am not prepared to accept, whatever the rules may say. Definitely a thing which has been disallowed by me cannot be taken up here when hon. Members can go on shouting. Even then I am prepared to discuss it with them separately. But I cannot waste the time of the whole House on that. I am not prepared to do that

---

12.45 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing 3rd April, 1967, will consist of:—

(1) Further discussion of the Motion of Thanks on the President's Address.

(2) Consideration and passing of the following Bills:—

(a) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1967.

(b) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill, 1967.

(c) The Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill, 1967.

(d) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1967.

(e) The Finance Bill, 1967.

(f) The Constitution (Twenty-first Amendment) Bill, 1967, *as passed by Rajya Sabha*

I am deleting item No. 3 from the copy which I have already supplied, as already intimated to the Secretariat. We wanted to take up one No Day-yet-named Motion but that is covered by item (d), the Essential Commodities Bill. Therefore, that is not taken up.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): जो माननीय मंत्री जी ने विषय बताये हैं क्या वे सब विषय निश्चित अवधि में समाप्त हो जायेंगे या लोक सभा की बैठक आगे बढ़ाने का विचार हो रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह . इरादा यह है कि निश्चित समय के अन्दर सारे विषय समाप्त कर लिये जायें और लोक सभा का अधिवेशन सात अप्रैल को पहले की सूचना के अनुसार समाप्त किया जाये।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, you will remember that when the statement regarding the non-proliferation of nuclear weapons was made here there was a general desire that the matter should be discussed. I have given a notice of a No-Day-Yet-named-Motion on this very subject. May I request that it may be taken up?

Dr. Ram Subhag Singh: We are prepared to take up at least one No-Day-Yet-Named Motion. But it all depends upon the time. If hon. Members are prepared to sit extra hours, we can take up more such motions.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : मैं आपका ध्यान 376 नियम की ओर दिलाना चाहता हूं। इस नियम के अन्तर्गत आप

नियम को देखें । उस में आखिरी जो पैरा है उसको आप देखिये । वह इस प्रकार है :

"Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House."

Mr. Speaker: If he wants to ask a question, he can do that. For that no point of order is necessary.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इस बात को देखिये कि हिन्दुस्तान टाइम्ज जैसा अखबार मुझ को दिन रात गालियां दिया करता है और इस सदन के एक सदस्य के अधिकारों की आप रक्षा नहीं करेंगे तो कहां मामला जायेगा ? यहां इस नियम के अनुसार मैं आप के सामने यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ने मुझ को रोक दिया और छः आठ दिन से यह मामला चल रहा है . . .

Mr. Speaker: The hon. Member may kindly sit down. About every hon. Member something is written in the newspapers. If we begin to discuss all that, we will have time only to discuss newspaper reports in this House. About every hon. Member, including the Prime Minister, something is written in the newspapers every day. Whether it is Jan Sangh, SSP, Swatantra or any other party, every day something is written in the papers. If we go on discussing all that, where will it end?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह प्रश्न नहीं है । आप एक गलती का फिर मौका दे देते हैं । प्रश्न यह नहीं है । हिन्दुस्तान टाइम्ज दस हजार गालियां मुझ को और दे लेकिन इस सदन में जो घटनायें होती हैं, उनको उसे छापना चाहिये । वह गालियां दे दिया करता है, घटनायें नहीं छापता है . . .

* * * *

Mr. Speaker: This will not be recorded.

डा० राम मनोहर लोहिया : * * *

Mr. Speaker: I am not hearing. It is not recorded also. Let the doctor have the pleasure of saying whatever he wants to say.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस तरह से लोक सभा की कार्रवाई नहीं चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : फिर कैसे चलेगी ?

श्री मधु लिमये : आप को सुनना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : एक तो मुझे इस विषय के बारे में कहना है । दूसरे यह कहना है संसद्-कार्य मंत्री को कि बार बार लिख कर दिया गया है लेकिन फिर भी विधेयक आदि कागजात वितरित किये जाते हैं वे अंग्रेजी में तो दिये जाते हैं लेकिन हिन्दी में नहीं दिये जाते हैं । जिन माननीय सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती है वे बार बार लिख कर देते है फिर भी उनको वे कागजात नहीं दिये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि संसद्-कार्य मंत्री इस पर ध्यान दें ।

मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने जो बयान देने को कहा था उसको वह दें । आप रिकार्ड को देखेंगे तो आप को पता चलेगा हीरो के बारे में उन्होंने कहा था कि वह समय चाहती हैं । यह कार्रवाई में है । मैं जानना चाहता हूं कि कब वह उस बयान को देने वाली हैं ? मैं बता देना चाहता हूं कि अगर वह बयान दे देती तो यह जो झगड़ा हिन्दुस्तान टाइम्ज वगैरह के बारे में उठता रहता है यह न उठता ।

श्री मधु लिमये : इस पर कुछ फैसला आप करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को भी बुलाऊंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक हफ्ते का सैशन और है। दो तीन चीजों के बारे में मुझे कुछ कहना है। ये चीजें भी इस बीच में हो जायें तो अच्छा होगा। पहली बात तो यह है कि मोनोपलीज कमीशन की जो रिपोर्ट है वह पिछली पार्लिमेंट से टलती चली जा रही है। अब भी मालूम होता है कि उस पर विचार नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए समय दिया जाये।

दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो बहुत ही इम्पार्टेंट जजमेंट है फंडेमेंटल राइट्स के ऊपर और जिस के बारे में सवाल भी उठे हैं मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री उसके बारे में जांच करके इस सैशन के खत्म होने से पहले हमारे सामने एक बयान दें ताकि उसका स्पष्टीकरण हो सके।

तीसरी चीज यह है कि मैंने एक कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था। जिसको आप ने डिसएलाऊ कर दिया है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब आज कम-अज-कम अगर हो सके तो पांच छः बजे मेहरबानी करके एक स्टेटमेंट कर दें। कानपुर में साढ़े तीन हजार मजदूरों की छंटनी हो रही है, लक्ष्मी काटन मिल के मजदूरों की छंटनी हो रही है। हमारे संसदीय मंत्री मेहरबानी करके कामर्स मिनिस्टर से कहें कि वह एक बयान आज दें ताकि साढ़े तीन हजार आदमियों की जो छंटनी होने वाली है और जिस के कारण कानपुर की लॉ एंड आर्डर सिचुएशन एफेक्ट होने वाली है, उसके बारे में पता चल सके कि तथ्य क्या हैं। इसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा होगी, मेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी।

श्री मधु लिमये : इस सत्र में नियम 184 के अनुसार कोई भी प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं लाया गया है। हम लोगों की ओर से जो भी लिए गये हैं उन में से कोई भी नहीं लिया गया है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई है और साथ ही साथ यह केन्द्र और राज्यों के इन दो रिश्तों का सवाल भी सामने आ गया है। इन दो में से किसी विषय पर दो ढाई घंटे की बहस अगले सप्ताह रखी जाये, यह मेरा उनसे निवेदन है।

डा० राम सुभग सिंह : श्री राम सेवक यादव ने बिलों को हिन्दी में भी सदस्यों के बीच वितरित करने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में हम लोगों का प्रयास होगा कि यथा शक्ति इस ओर आगे बढ़े और आप के आदेशों के अनुसार इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जायेगी।

हमारे बनर्जी साहब ने तीन बातें कही हैं . . .

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री ने हीरों के बारे में बयान देने की जो बात कही थी उसके बारे में भी बताइये।

डा० राम सुभग सिंह : एक तो उन्होंने मोनोपलीज कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करवाने के बारे में कहा है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में विधि मंत्री की तरफ से उसका अध्ययन करके बयान देने की बात कही है और तीसरे कानपुर में लक्ष्मी काटन मिल में जो छंटनी होने का उनको अंदेशा है उसके सम्बन्ध में कामर्स मिनिस्टर से बयान दिलाने के बारे में कहा है और वह भी आज शाम को। हम तीसरी बात के बारे में मैं कामर्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह आज सन्ध्या समय तक इस बारे में कोई सूचना दे पायेंगे।

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री से भी निवेदन कीजिए।

डा० राम सुभग सिंह : जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रश्न है, वह एक अहम सवाल है। विधि मंत्री स्वयं यहां पर उपस्थित हैं। उस का अध्ययन कर के जो कुछ भी

सम्भव होगा, वह करने का प्रयत्न किया जायेगा । बालोरलोड कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के बारे में भी कहा गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इस सदन में दो विषयों पर चर्चा हो चुकी है—एक तो फूड के बारे में और दूसरी राजस्थान के बारे में । अब इस सत्र का एक सप्ताह बाकी है । प्रेजिडेंट के एड्रेस पर जो डिस्कशन चल रही है, उस के लिए करीब सोलह घंटे का समय है । अगर सदन चाहे, तो उस पर सोलह, साढ़े सोलह घंटे चर्चा करे, या उस समय को कम करे । जहां तक मैंने समझा है, इस सदन का ख्याल है कि 7 अप्रैल को यह सत्र बन्द किया जाये और अगला समर सैशन 22 मई को बुलाने का विचार है । मैं श्री बनर्जी और श्री रामसेवक यादव से निवेदन करूंगा कि यद्यपि मैं उन के द्वारा पेश की गई समस्याओं के महत्व को समझता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय की किल्लत है ।

श्री मधु लिमये ने शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और केन्द्र तथा प्रदेशों के सम्बन्धों के बारे में चर्चा की मांग की । मैं इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी से सिफारिश करूंगा और श्री मधु लिमये को इस बारे में सूचना दे दूंगा । केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के सवाल पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है । इस सब बातों पर विचार कर के जो कुछ भी सम्भव होगा, वह किया जायेगा ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, उस समय आप स्वयं चेयर में थे, जब कि माननीय सदस्य, डा० लोहिया, और अन्य माननीय सदस्यों ने हीरों के हार का प्रश्न उठाया था । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वह इस बारे में जवाब देंगी । इस समय प्रधान मंत्री जी सदन में बैठी हैं । वह इस बारे में जवाब दें और मामले को स्पष्ट कर दें । हिन्दुस्तान टाइम्स इस बारे में न जाने कितना अनर्गल प्रचार कर चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं आपका और इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस समय सदन के सामने विचारणीय विषय यह है कि अगले सप्ताह सदन में किन किन विषयों पर चर्चा की जाये । इस लिये मैं समझता हूं कि उसमें हमें दूसरी बातों को घसेड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): अगले सप्ताह में दो तीन दिन तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली डीबेट पर लग जायेंगे । हमारा पिछला अनुभव यह है कि हर रोज हमारा बहुत सा समय ऐसी बातों में लग जाता है, जो कि बिजनेस में शामिल नहीं होती है । इस सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है—दिल्ली का लैंड एक्वीजीशन बिल उन में से एक है—, जिन के लिये हमें समय चाहिए । बाद में कहीं यह न कहा जाय कि चूंकि 7 अप्रैल को हाउस को एडजार्न करना है, इस लिये इन सब बिलों को गिलोटीन किया जायेगा । यह ठीक नहीं होगा । अगर आवश्यक हो, तो सेशन को बढ़ाया जाये, लेकिन इन विधेयकों पर बोलने के लिये आवश्यक समय अवश्य मिलना चाहिये ।

Mr. Speaker: The hon. Minister may look into his suggestion.

12.54 hrs.

Re. POINT OF ORDER

Shri R. K. Sinha: (Faizabad): On a point of order, Sir. I have written to you a letter about it. Yesterday, the sovereignty of the country had been challenged by a Member of this House when a point of secession was raised. I want that some time should be allotted to discuss whether a Member of this House who had taken oath or affirmation to the Constitution can talk of secession. That should be discussed in the House.